ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री दीप राम, निवासी चुनवी बोड़, डाकघर चाड़ना, तहसील नाहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री दीप राम, निवासी चुनवी बोड़, डाकघर चाड़ना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तगत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 04–08–2013 है और उसे ग्राम पंचायत/नगरपालिका चाड़ना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30–10–2025 से पूर्व इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर दक्ष शर्मा की जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत सचिव को जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 30–09–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Sh. Rishabh Sharma, Assistant Collector 1st grade, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Rajeev Kumar s/o Sh. Charan Singh Verma, r/o Ward No. 11, House No. 73, Bangran Road, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application for publication in e-gazette for correction of applicant's name in matric marksheet of his son.

Whereas, Rajeev Kumar s/o Sh. Charan Singh Verma, r/o Ward No. 11, House No. 73, Bangran Road, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh has filed an application alongwith copy of his Aadhar Card, matric marksheet and an affidavit in the court of the undersigned to correct his name as Rajeev Kumar in place of Rajeev Verma in matric certificate of his son Raghav Verma bearing registration No. H125/43011/0029 issued by Central Board of school education.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to correct name of applicant as Rajeev Kumar in place of Rajeev Verma in matric certificate of his son then they should appear before the court of undersigned on or before 03-11-2025 either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 03-10-2025.

Seal. Sd/-

(RISHABH SHARMA),
Tehsildar-cum-*Executive Magistrate*,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 15 / 2025 तारीख मरजुआ : 08–10–2025

श्री चंद्रमोहन पुत्र नीता राम, निवासी शमोगा, ग्राम पंचायत छोगटाली, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री चंद्रमोहन पुत्र नीता राम, निवासी शमोगा, ग्राम पंचायत छोगटाली, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी पुत्री अंशू कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छोगटाली में दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदक के अनुसार उसकी पुत्री अंशू कुमारी का जन्म दिनांक 15–02–2008 को हुआ है। सायल ने ग्राम पंचायत छोगटाली के पंजीकरण पजी में अपनी पुत्री की जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अंशू कुमारी पुत्री चंद्रमोहन व गीता देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छोगटाली में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं सचिव ग्राम पंचायत छोगटाली को जन्म तिथि दर्ज करने आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08–10–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 16 / 2025 तारीख मरजुआ : 08—10—2025

श्री चंद्रमोहन पुत्र नीता राम, निवासी शमोगा, ग्राम पंचायत छोगटाली, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री चंद्रमोहन पुत्र नीता राम, निवासी शमोगा, ग्राम पंचायत छोगटाली, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी पुत्री अलका कुमारी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छोगटाली में दर्ज करने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री का जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदक के अनुसार उसकी पुत्री अलका कुमारी का जन्म दिनांक 23—08—2010 को हुआ है। सायल ने ग्राम पंचायत छोगटाली के पंजीकरण पंजी में अपनी पुत्री की जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अलका कुमारी पुत्री चंद्रमोहन व गीता देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत छोगटाली में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं सचिव ग्राम पंचायत छोगटाली को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 08—10—2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————